MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/अ.वि./2017–18 दिनांक 11 अप्रेल, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2016–17 अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों एवं आवासों को अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराने के कम में ।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 23.11.2016, एवं 10.02.2017।

योजनान्तर्गत प्रांसागिक पत्र दिनांक 23.11.2016 द्वारा दिनांक 28.11.2016 को ग्राम सभा में अनुमोदित कराकर दिनांक 10.12.2016 तक आपत्तियां प्राप्त कर, निस्तारण उपरान्त दिनांक 16.12.2016 को अन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित करने के कम में सेक डाटा–2011 के अनुसार ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की प्रदर्शित सूची में शामिल पक्के आवास व आवास योजनाओ के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों के नाम अनिवार्य रूप से पृथक किये जाने एवं योजनान्तर्गत परिवार की पात्रता निर्धारित 14 मापदण्ड की जांच उपरान्त ही वरीयता सूची तैयार करने के निर्देश दिये गये तथा स्वीकृति के समय किसी ग्राम पंचायत में 5 प्रतिशत से अधिक परिवार अपात्र पाये जाने पर ग्राम सभा प्रभारी व सम्बंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये गये।

योजनान्तर्गत आवाससॉफ्ट पर दर्ज पात्र परिवारों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान स्वीकृत आवासों के विरूद्व अभी भी लगभग 3 लाख लाभान्वित लाभार्थियों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा अपलोड वरीयता सूची से नही हटाये गये है (सूची संलग्न)।

विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों की जांच उपरान्त ध्यान में आया है कि योजना के निर्धारित 14 मापदण्डों की ठीक से जांच नही की जाकर अपात्र लाभार्थियों की स्वीकृतियां जारी कर दी गई है, जो कि खेदजनक है।

अतः योजना के सफल कियान्वयन के कम में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावेः–

1. वर्ष 2016–17 मे स्वीकृत किये गये आवासों का योजनान्तर्गत 14 मापदण्डों के परिपेक्ष्य में विकास अधिकारी सम्बन्धित से दिनांक 30 अप्रेल, 2017 तक पुनः सत्यापन/जांच कराकर, अपात्र पाये जाने पर जारी स्वीकृति को तुरन्त निरस्त कर, अपात्र लाभार्थियों को यदि प्रथम किश्त जारी कर दी गई हो तो अविलम्ब राशि वसूल कर राजकोष मे जमा कराई जावे।

2. इसी कम में रेण्डम आधार पर तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता/संस्थाओं/जिला स्तरीय अधिकारियों के दल से भी जांच कराई जाकर, अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृतियां अविलम्ब निरस्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
3. ग्राम पंचायत कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर वर्ष 2016–17 में स्वीकृत किये गये लाभार्थियों की सूची चस्पा की जावे।

4. साथ ही वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लक्ष्यानुसार सम्भावित पात्र परिवारों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जावे।
5. विभागीय निर्देशानुसार ग्राम पंचायतवार, वर्गवार पात्र परिवारों की सूची का पंचायत समितिवार संकलित कराकर स्थानीय राजकीय कार्यालयों, माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जावे।
6. उक्तानुसार जारी निर्देशों के क्रम में 30 अप्रेल, 2017 तक समस्त अपात्र लाभार्थियों की स्वीकृतियां निरस्त कराकर उनके स्थान पर वरीयता क्रम में पात्र लाभार्थियों को स्वीकृतियां जारी करावें।
7. माह मई, 2017 के प्रथम सप्ताह में स्थानीय समाचार–पत्रों में अपील जारी कर जारी स्वीकृतियों में अपात्र लाभार्थियों की सूचना देने वाले को व्यक्तिगत यथोचित सम्मानित कर दोषी स्वीकृतकर्ता अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

अतः आप योजनान्तर्गत पारदर्शिता के क्रम में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराकर अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृतियां निरस्त कराने बाबत् आवश्यक कार्यवाही करावे एवं 30 अप्रेल, 2017 के उपरान्त भी यदि किसी अपात्र लाभार्थियों की स्वीकृतियां निरस्त नहीं की जाती है तो ऐसे प्रकरण पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करें।

10.4.2017

(सुदर्शन सेठी,)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं मू), ग्राविवि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)